

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ई-मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141-5153222, 5153223, 5153860 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(7)शिक्षा/ग्रुप-3/2023

जयपुर, दिनांक:- 21.09.2023

**:- आदेश :-**

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या- 278.03.0 की अनुपालना में 04 महाविद्यालयों-मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया-हनुमानगढ़, शहीद भगतसिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर-श्रीगंगानगर, ज्ञान ज्योति महाविद्यालय, करणपुर-श्रीगंगानगर एवं ग्रामीण कन्या महाविद्यालय, भादरा-हनुमानगढ़ को उनकी समस्त चल/अचल सम्पत्तियां राज्य सरकार को हस्तान्तरण करने की शर्त पर उनको पूर्व दायित्वों सहित (प्रस्ताव में अंकित दायित्व की सीमा में) राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

1. राज्याधीन/राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किये गये 10 महाविद्यालयों (भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा महाविद्यालय, नैनवां; आईमाता महाविद्यालय, सोजतसिटी; शहीद रूपाजी करपाजी महाविद्यालय, बेगूं; महाराणा प्रताप महाविद्यालय, रावतभाटा; श्री प्रेमसिंह सिंघवी महाविद्यालय, छीपाबडौद; बाबा मोहनराम किसान महाविद्यालय, भिवाडी; मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया; शहीद भगतसिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर; ज्ञान ज्योति महाविद्यालय, श्रीकरणपुर एवं ग्रामीण कन्या महाविद्यालय, भादरा) में कार्यरत कार्मिकों को Rajasthan College Education Society (RAJ-CES) Hiring of Man Power Rules, 2023 की जारी होने वाली अधिसूचना के अध्याधीन नियमों में उल्लेखित पदनामों के अनुरूप पद सृजित किये जाने एवं इन नियमों की सेवा-शर्तों के तहत एवं स्क्रीनिंग के आधार पर सेवा में लिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि इन नियमों में सम्मिलित पदों के अतिरिक्त अन्य कोई पद महाविद्यालयों में स्वीकृत है, तो ऐसे पदों के सम्बन्ध में शैक्षणिक योग्यता, पारिश्रमिक एवं नये पदनाम हेतु आयुक्तालय पृथक से प्रस्ताव भिजवावें।
2. उक्त संबंध में आयुक्तालय नियमानुसार सम्पूर्ण आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152301818 दिनांक 18.09.2023 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन नोगिया)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. शासन उप सचिव- II, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग।
9. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Brij Mohan Nogia  
Designation: Deputy Secretary  
Date: 2023.09.21 10:17:40 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4770519

RajKaj Ref No. : 4780063



12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम

**Signature valid**

Digitally signed by Brij Mohan Nogia  
Designation: Deputy Secretary  
Date: 2023.09.21 10:17:40 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4770519

RajKaj Ref No. : 4780063



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक :एफ4(131)आयो/आकाशि/कन्या महा. भादरा/राज्याधीन/2023-24/-03008

विषय :- बजट वर्ष 2023-24 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा बिन्दु संख्या 278.03.0 की अनुपालना में मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया, शहीद भगतसिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर, ज्ञान ज्योति महाविद्यालय, श्रीकरणपुर एवं ग्रामीण कन्या महाविद्यालय, भादरा को राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किये जाने बाबत जारी राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.09.2023 के पृष्ठांकन बाबत।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. शासन उप सचिव-प्रथम, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ / श्रीगंगानगर।
11. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
12. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
13. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी/संयुक्त निदेशक, प्रशासन/संयुक्त निदेशक, अकादमिक/संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाएं, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
15. सहायक निदेशक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
16. नोडल अधिकारी, संबंधित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
17. अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव, प्रबंध समिति, संबंधित निजी महाविद्यालय, राजस्थान।
18. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।
19. रक्षित पत्रावली।

( डॉ. विमलेश सोनी )  
संयुक्त निदेशक, आयोजना

Signature valid

Digitally signed by Vimlesh Soni  
Designation: Associate Professor  
Date: 2023.09.22 11:38:03 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4780719

